कलकत्ता हाईकोर्ट
यात्री की मौत पर अदालत की टिप्पणी, 'सब्जियों की तरह बर्थ बेचते हैं टीटीई'

कोलकाता @ पत्रिका. कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेनों में खाली बर्थ के बदले पैसे लेने वाले टीटीई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ टीटीई बर्थ को 'बाजार में सब्जियों की तरह बेचते हैं'। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की डिविजन बेंच ने देश के सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अधिकतम अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मामला फरवरी 2009 का है, जब तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस में 'न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह जा रहे बिना रिजर्वेशन टिकट के दो यात्रियों को टीटीई ने पैसे लेकर बर्थ दी। बाद में अपराधियों ने उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया, जिससे एक यात्री की मौत हो गई। कोर्ट ने कहा कि टीटीई की लापरवाही ने अपराध का रास्ता खोला। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में हत्यारोप सिद्ध नहीं होने पर आरोपियों को उम्रकैद रद्द कर धारा 328 के तहत सात वर्ष की सजा बरकरार रखी और रिहाई का आदेश दिया। पुलिस जांच में लापरवाही मानते हुए कोर्ट ने कहा कि विसरा रिपोर्ट तक एकत्र नहीं की गई, जो अक्षम्य चूक है।

पश्चिम बंगाल: ट्रॉलर बरामद, नौ मछुआरों के शव मिले

कोलकाता @ पत्रिका. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बकखाली तट के पास लापता हुआ मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर 'मां काली' से नौ मछुआरों के शव मिले हैं। छह मछुआरे अब भी लापता हैं। रविवार रात प्रशासन और मछुआरों ने ट्रॉलर के भीतर व आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया। सुंदरबन विकास विभाग के राज्यमंत्री दीपंकर जाना ने राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी की। ट्रॉलर 2 जुलाई को दीघा के शंकरपुर बंदरगाह से समुद्र में मछली पकड़ने निकला था और 5 जुलाई के बाद उसका संपर्क टूट गया था। इसके बाद पुलिस, तटरक्षक बल, नौसेना, वन विभाग और मछुआरा संगठनों ने संयुक्त अभियान शुरू किया। ट्रॉलर बीते रविवार को बकखाली तट से करीब 35 किमी. दूर उलटा मिला था।

नाबालिगों की पोर्न तक पहुंच रोकने पर विचार करे सरकार

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकरणों से नाबालिगों की पोर्नोग्राफिक सामग्री तक पहुंच रोकने तथा सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी सामग्री देखने पर रोक लगाने संबंधी सुझावों पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि यह 'बेहद महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा' है, लेकिन यह नीतिगत विषय है।

पेज एक से जारी...

भाजपा को...

स्पीकर बिरला का फैसला आना बाकी: लोकसभा में गुणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों ने अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की है। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का फैसला मानसून सत्र से पहले आ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने...

इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार पहले ही मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित कर चुकी है। आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। **पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर आगे की कार्रवाई पर फैसला:** आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने जांच रिपोर्ट की प्रति देने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। पीठ ने कहा कि जांच अभी जारी है, इसलिए इस स्तर पर रिपोर्ट साझा नहीं की जा सकती। पहले रिपोर्ट का परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग पर विचार होगा।

भोजशाला विवाद पर आज सुनवाई: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने पर सहमति जताई है।

हाईकोर्ट के...

इस कानून के तहत समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर 10 वर्ष से अधिक उम्र की उन गायों के वध की अनुमति दी जाती है, जो दूध देने या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त हो चुकी हो। राज्य सरकार की ओर से अधिवेक्ता मनु सिंघवी ने पक्ष रखा।

अंतरिक्ष की सैर : रूस का सोयुज एमएस-29 मिशन आज होगा लांच
केरल का पलक्कड़ से तीन अंतरिक्ष यात्रियों का जुड़ाव, एक आज स्पेस स्टेशन जाएंगे

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. नासा में कार्यरत भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट डॉ. अनिल मेनन 14 जुलाई को पहली बार रूसी यान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) के लिए रवाना होंगे। इस मिशन में एक भारतीय के शामिल होने से पूरा देश गौरवान्वित है। उनके इस मिशन से जुड़ने से केरल का पलक्कड़ जिला चर्चा में आ गया है। इस जिले का संबंध अब डॉ. अनिल मेनन सहित

तीन अंतरिक्ष यात्रियों से है। इनमें डॉ. अनिल मेनन पत्नी और निजी अंतरिक्ष यात्री एना मेनन और भारत के गगनयान मिशन के लिए चुने गए व्यम कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन नायर शामिल हैं। केरल में इसे उपलब्धि मानते हुए जश्न मनाया जा रहा है। बताते चलें कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो की शुरुआत भी केरल के थुंबा से हुई थी।

गगनयान मिशन प्रमुख ने भेजा भावुक संदेश : गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री एयर कमोडोर प्रशांत नायर ने इस मौके पर अनिल मेनन और उनकी पत्नी एना के लिए भावुक संदेश भेजा है। नायर और मेनन ने अमरीका के ह्यूस्टन में साथ प्रशिक्षण लिया था। दोनों अच्छे दोस्त हैं।

8 महीने बाद 2027 में लौटेंगे तीनों अंतरिक्ष यात्री

डॉ. अनिल मेनन इस मिशन के लिए कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉसमोड्रोम से रूस के सोयुज एमएस-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। उनके साथ रूसी अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुबोव और अन्ना किकिना भी होंगे। यह मिशन करीब आठ महीने चलेगा और तीनों 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे।

नेपाल : युवक की मौत से भड़का असंतोष
समझौते के बाद आंदोलन स्थगित, बालेन शाह सरकार पर बढ़ा दबाव

काठमांडू @ पत्रिका. नेपाल में आत्मदाह की कोशिश के बाद उपचार के दौरान राइड-शेयरिंग कर्मी गणेश नेपाली की मौत से भड़के विरोध के बीच सरकार और मृतक के परिजनों के बीच नौ सूत्रीय समझौता हो गया। इसके बाद सोमवार को संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति ने अपने भूखे प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिए। समिति ने समझौते को शीघ्र लागू करने, दलित समुदाय के खिलाफ संरचनात्मक भेदभाव समाप्त करने, समावेशी एवं आनुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सरकार के पूर्व समझौतों और वादों को लागू करने की मांग दोहराई। हालांकि गणेश की मौत से उपजा जनाक्रोश अभी थमा नहीं है। युवाओं, दलित संगठनों और भूमिहीनों के आंदोलन ने काठमांडू के मेयर एवं प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार को राजनीतिक रूप से घेर लिया हैं। सरकार ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति भी गठित की है।

युवा, दलित और भूमिहीन आंदोलन एक मंच पर

25 वर्षीय गणेश नेपाली ने कथित तौर पर पासपोर्ट विभाग के बाहर मोटरसाइकिल पर जुर्माने और महानगर पुलिस से विवाद के बाद खुद को आग लगा दी थी। करीब 60% झुलसे गणेश की बीर अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद जेन-जेड युवाओं, विपक्षी दलों और भूमिहीन संगठनों ने जवाबदेही की मांग तेज कर दी। सरकार के बेदखली अभियान में 2,600 परिवारों के 15,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि 325 परिवार अस्थायी शिविरों में हैं। जेन-जेड कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों ने भी सरकार की आलोचना बढ़ा दी।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

क्रमांक/मण्डी/नि./26-27/305 नीमच, दिनांक 13.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

प्रमुख अभियंता, म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एकीकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारों से प्रतिशत दर आधार पर सिस्टम निविदाएँ क्रमांक 2026_MPSAM_520141_1, 2026_MPSAM_520142_1, 2026_MPSAM_520143_1, 2026_MPSAM_520144_1 के अंतर्गत ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 15.07.2026 समय 10.30 से दिनांक 04.08.2026 को सायं 5.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर प्राप्त होगी, एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट : आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

संचिव
कृषि उपज मण्डी समिति, नीमच
जिला नीमच (म.प्र.)

भासताथक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति, नीमच
जिला नीमच (म.प्र.)

अनोखी रेस : डायनासोर बनकर विश्व चैंपियनशिप में दौड़े

वाशिंगटन में हर साल की तरह इस बार भी टी-रेक्स विश्व चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया गया। इस रेस में सैकड़ों प्रतिभागी डायनासोर की फूली ही कॉस्ट्यूम पहनकर हिस्सा लेते हैं। डायनासोर के बड़े-बड़े परिधानों में दौड़ने के कारण प्रतिभागी अक्सर गिर जाते हैं जिससे यह आयोजन बेहद मजेदार इवेंट बन जाता है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(उद्यान विभाग सिविल मुख्यालय)
E-mail: gardendepartmentcivil@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति क्र.: 14/उ.सिविल/26-27/जी-01 से जी-04 तक **निविदा आमंत्रण** दिनांक: 06.07.2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Building, Road & Bridge, SOR/ NON SOR), DATE 02.08.2021 पर आधारित ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

क्रम क्र.	टेंडर आईडी	कार्य का नाम	लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_519485_1	झोन क्र. 17 वार्ड क्र. 19 में स्थित भगत सिंह नगर में सार्वजनिक कुएँ के पास खुली भूमि पर उद्यान का निर्माण करने बाबद्।	180 दिवस ₹25,67,341/-	₹5,000/- ₹19,300/-	05.08.2026 6.00 PM 07.08.2026
02	2026_UAD_519502_1	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 06 के अंतर्गत साई गंगोत्री कॉलोनी के उद्यानों का जीर्णोद्धार कर अवशिष्ट सिविल कार्य करना।	180 दिवस ₹37,28,084/-	₹5,000/- ₹28,000/-	05.08.2026 6.00 PM 07.08.2026
03	2026_UAD_519509_1	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 06 में रामचन्द्र नगर मुख्य उद्यान का जीर्णोद्धार करने बाबद्।	180 दिवस ₹34,70,863/-	₹5,000/- ₹26,100/-	05.08.2026 6.00 PM 07.08.2026
04	2026_UAD_519512_1	झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 40 के अंतर्गत गोयल विहार म.न. 237 के सामने स्थित गार्डन में आवश्यक सिविल कार्य करना।	90 दिवस ₹7,16,701/-	₹2,000/- ₹7,200/-	22.07.2026 6.00 PM 24.07.2026

नोट: निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री,
उद्यान सिविल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

ई नीलामी सूचना
ऋण वसूली अधिकरण
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवायें विभाग (बैंकिंग प्रभाग)
द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल बिल्डिंग), रेजीडेंसी रोड,
हेड पोस्ट ऑफिस के पास, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर-(म्प्र) 482001

प्रकरण संख्या : RC 285/2024 ओ.ए. नं. 43/2019

ई-नीलामी संख्या 152/2026

BANK OF INDIA वि. M/S KANHA FOOD INDIA एवं अन्य में पारित वसूली प्रमाणपत्र क्रमांक RC No. RC 285/2024/ O.A. No. 43/2019 में जारी राशि की वसूली हेतु प्रमाण पत्र **Rs. 85,04,203.83 (Rupees Eighty Five Lakh Four Thousand Two Hundred Three and Eighty Three Paisa only)** तथा उस पर **11.45** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिनांक **18.01.2019** से ब्याज एवं वसूली हेतु निम्नलिखित संपत्ति ऑनलाईन ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत वेबसाईट **https://baanknet.com** के माध्यम से की जायेगी।

ई - नीलामी की तिथि एवं समय : 19-08-2026 दोपहर 12:00 से 01:00

संपत्ति की अनुसूची

क्र. सं.	विक्रय हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण	आरक्षित / न्यूनतम मूल्य	ई.एम.डी. राशि
1.	**All that piece of Land with building and structures standing thereon at Plot No.12, Khasra No. 455/2, Industrial Area Nimrani, Tehsil- Kasrawad, District- Khargone (M.P) area admeasuring 1858.75 sq.mtr (as per valuation 1858.47 sq.mtr.); belonging to Shri Mukesh Kumar Verma S/o Shri Chhingilal Verma.**	**Rs. 13,70,000.00 (Rupees Thirteen Lakh Seventy Thousand only)**	**Rs. 1,37,000.00 (Rupees One Lakh Thirty Seven Thousand only)**

विक्रय की शर्तें एवं नियम

1. विक्रय की सभी शर्तें ऋणों की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों, आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के साथ पठित प्रावधानों द्वारा शासित होंगी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों से भी निर्देशित होंगी।
2. इच्छुक बोलीदाता निम्न सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

नीलामी एजेंसी	Bank Asset Auction Network (BAANKNET)
हेल्पलाइन नं.	+91-82912 20220
हेल्पलाइन ईमेल	support.baanknet@psballiance.com
बैंक अधिकारी	Mr. Vikas Kumar, Chief Manager, Mob. No. 9568586767
संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	**03-08-2026** दोपहर 12:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक

3. इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र, विस्तृत विवरण एवं विक्रय की शर्तें हेतु वेबसाइट **https://baanknet.com** का अवलोकन करे
4. बोलियाँ **(bids)** केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएँगे। प्रत्येक बोली के साथ पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण, पहचान-पत्र, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी के मामले में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव **(Board Resolution)** की प्रमाणित प्रति अथवा कंपनी की ओर से प्रतिनिधित्व / अधिकार-पत्र **(Power of Attorney/Authorization)** को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य वैध दस्तावेज बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। बोलीदाता संपत्ति के विवरण, बंधकल/भाप, प्रभारों **(Encumbrances)**, दायित्वों तथा अन्य संबंधित तथ्यों की शुद्धता एवं सत्यता के संबंध में स्वयं अपने स्तर पर संबंधित सरकारी कार्यालयों अथवा अन्य सक्षम स्रोतों से जांच-पड़ताल कर पूर्णतः संतुष्ट हों। इस संबंध में भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी त्रुटि, विसंगति, कमी अथवा विवाद के लिए ऋण वसूली अधिकरण **(DRT)** उत्तरदायी नहीं होगा।
5. आरक्षित मूल्य का **10%** अर्थात् **Rs. 1,37,000.00 (Rupees One Lakh Thirty Seven Thousand only)** ई.एम.डी. के रूप में **BAANKNET** वॉलेट में जमा करना होगा तथा उसका विवरण बोली प्रपत्र में अंकित करना होगा।
6. ऑनलाइन बोली दिनांक **17-08-2026** को सायं **5.00** बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी।
7. ऑनलाइन प्रस्तुत बोली प्रपत्र एवं संलग्नकों की प्रति वसूली अधिकरण, डीआरटी, जबलपुर, द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), रेजीडेंसी रोड, मुख्य डाकघर के निकट, दक्षिण सिविल लाइन्स, जबलपुर को यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी।
8. ऑनलाइन बोली प्रक्रिया प्रारंभ उपरान्त बोली से प्रारंभ होगी तथा प्रत्येक अगली बोली में न्यूनतम वृद्धि **Rs. 14,000.00 (Rupees Fourteen Thousand only)** होगी। नीलामी समाप्ति से पूर्व कोई बोली प्राप्त होने पर प्रस्तावी द्वारा नीलामी समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ दिया जाएगा।
9. असफल बोलीदाताओं की ई.एम.डी. उसी खाते में वापस की जाएगी जिससे भुगतान किया गया था इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ई.एम.डी जमा करने के पश्चात बोलीदाता उसे वापस नहीं ले सकेगा अन्यथा राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. स्थावर संपत्ति के मामले में सफल उच्चतम बोलीदाता को घोषणा के अगले दिन, अपनी बोली स्वीकृत होने पर, बोली राशि का **25%** (ई.एम.डी. घटाकर) **INDIAN BANK, CIVIL LINES BRANCH, JABALPUR** में वसूली अधिकारी, ई-नीलामी खाता, डीआरटी जबलपुर, खाता संख्या **7890303849**, आईएफएससी कोड **IDIB000C627** में **RTGS/NEFT** द्वारा जमा करना होगा। चूक होने पर संपत्ति पुनः विक्रय हेतु प्रस्तुत की जाएगी तथा ई.एम.डी जब्त कर ली जाएगी।
11. सफल बोलीदाता को शेष **75%** राशि तथा विक्रय राशि का 1% पाउंडेज शुल्क एवं प्रत्येक संपत्ति पर अतिरिक्त **10/-** नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर, क्रम संख्या 10 में उल्लिखित खाता संख्या **7890303849** में आरटीजीएस **(RTGS)** / एनईएफटी **(NEFT)** / मनी ट्रांसफर के माध्यम से जमा करना होगा। यदि पंद्रहवाँ दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश का दिन हो, तो भुगतान उसके पश्चात् आने वाले प्रथम कार्य दिवस पर किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में, संपत्ति के विक्रय हेतु नवीन विक्रय उद्घोषणा **(Fresh Proclamation of Sale)** जारी कर पुनः नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त **(Forfeited)** कर ली जाएगी तथा चूक करने वाला क्रेता **(Defaulting Purchaser)** उक्त संपत्ति अथवा उसके पुनर्विक्रय से प्राप्त किसी भी राशि पर अपना समस्त दावा एवं अधिकार खो देगा।
12. संपत्ति का विक्रय 'जैसी है जहाँ है तथा बिना किसी निकासयत के आधार पर' **(As is Where is and No Complaint Basis)** किया जाएगा।
13. संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
14. वसूली अधिकारी को बिना कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्रय स्थगित / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. इच्छुक बोलीदाता बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व अभिलेखों का अवलोकन करें तथा संपत्ति की पहचान, विवरण एवं भार आदि की स्वयं जांच करे। इसकी शुद्धता के लिए डीआरटी उत्तरदायी नहीं होगा।
16. बोलीदाता अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इंटरनेट, नेटवर्क, सिस्टम फ्रेज या विद्युत व्यवधान के लिए डीआरटी/बैंक/ सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होंगे।
17. उच्चतम बोली 'अनुमोदन के अधीन' अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। विक्रय की पुष्टि होने तक बोलीदाता को संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा।
18. विक्रय पर लागू स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं अन्य वैधानिक शुल्क सफल क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।
19. विक्रय प्रमाणपत्र केवल उन्हीं व्यक्ति/ व्यक्तियों के नाम जारी किया जाएगा जिनके नाम बोली प्रपत्र में उल्लिखित हैं।
20. विक्रय प्रमाणपत्र में बोली प्रपत्र में उल्लिखित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नाम को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
21. बोलीदाता अपने यूजर आईडी, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी को भी प्रकट न करें।
22. बोलीदाताओं को समय वितंब, अधिक ट्रैफिक, सिस्टम / विद्युत विफलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करने की सलाह दी जाती है।
23. ई-नीलामी सेवा प्रदाता, बैंक के अधिकारी, उनके प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं एजेंट ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के विवरणों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे।

स्थान : जबलपुर
दिनांक : 22.06.2026

Ms Priti Desai
Recovery Officer-I
Debts Recovery Tribunal
Govt. of India, Ministry of Finance
Jabalpur (M.P. & C.G.States)

रक्षा सम्पदा कार्यालय महू वृत्त, महू छावनी
(रक्षा मंत्रालय)
टेलिग्राफ मार्ग, महू छावनी, जिला इन्दौर (म.प्र.) पिन: 453441
दूरभाष : 07324-277271

क्र.जी.ई.ओ./महू/सेप्ज/6/XXXXX/ दिनांक. 13.07.2026

पुनः ई-नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रक्षा सम्पदा अधिकारी महू वृत्त, महू छावनी द्वारा महू छावनी स्थित **Army War Collage & Demo BTY, Mhow Cantt** में आर्मी बोर्ड प्रोसीडिंग के अन्तर्गत आने वाले सर्वे नम्बर 514 एवं 665 पर स्थित 52 हरे / खड़े/ सूखे वृक्षों को कटवाने / हटवाए जाने हेतु जहा है, जैसा है के आधार पर पुनः ई-नीलामी की जानी है। नीलामी से संबंधित तिथि, समय, नियम एवं शर्तों व अन्य जानकारी के लिए वेबसाईट **(www.eauction.gov.in)** अथवा दिनांक 14.07.2026 से 21.07.2026 तक किसी भी कार्य दिवस मे पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 5.30 बजे तक कार्यालय मे सम्पर्क कर सकते है।

(ज्योति कपूर)
म.र.अ.
रक्षा सम्पदा अधिकारी,
महू वृत्त, महू छावनी

OFFICE OF UJJAIN DEVELOPMENT AUTHORITY
Pradhikaran Bhawan, Bharatpuri Administrative Zone,
Dewas Road, Ujjain (M.P.)-456010
email-udaujjain@gmail.com, website-www.udaujain.org

Tender Notice

Online tenders are invited from eligible firms for the following work. Detailed tender details can be found on the website https://mptenders.gov.in/nicgep/app

No.	Tender number & date of issue	Name of Work	Work Duration & PAC	Cost of Tender Form and EMD (INR)	Last date of tender
1	UDA/ET/26/113 Date-09.07.2026 2026_DTCP_520357_1	CONSULTANCY SERVICES FOR PREPARATION OF G.A.D., ESTIMATE SPECIFICATION FEASIBILITY STUDY, TENDER DOCUMENT AND SUPERVISION FOR CONSTRUCTION OF TWO OR MORE ROB/ MAJOR BRIDGE WORKS OF UDA AT UJJAIN	730 Days 50,00,00,000/-	5900/- 100000/-	30/07/2026

Note: Any amendments to the tender will be published online only on the website and will not be published separately in newspapers.

(Kuldeep Raghuwanshi)
Executive Engineer, UDA, Ujjain

इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर ida

बकायेदारो से लीज़रेंट जमा कराने हेतु शिविर का आयोजन

इंदौर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में लीज़ पर आवंटित संपत्तियों के बकाया वार्षिक लीज़रेंट जमा करने हेतु IDA द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

क्रमांक	योजना क्रमांक जहाँ शिविर का आयोजन किया जाना है	सम्मिलित योजनाएं	शिविर आयोजन दिनांक	शिविर का आयोजन स्थल
01	54	50, 53, 54, 55, 74, 77, 78, 113, 114, 117, 121, 134, 136, 139, 159	16 / 07 / 2026 से 18 / 07 / 2026 तक	योजना क्रमांक 74-C, पानी की टंकी, कान्ह्री समाज के पास ग्रीनल कार्यालय
02	71	59, 71, 103, 97 भाग 2 एवं 4 सम्पूर्ण, 135	23 / 07 / 2026 से 25 / 07 / 2026 तक	योजना क्रमांक 71-C, कर्मदा पानी की टंकी
03	31	11, 30, 31, 38, 43, 44, 46, 47, 99, इंदिरा कॉम्पलेक्स, 98, 100, 101, 102	29 / 07 / 2026 से 31 / 07 / 2026 तक	योजना क्रमांक 31 त्रयलक्ष्य कॉम्पलेक्स शॉप नं B-3
04	51	51, 155, 166, 91	06 / 08 / 2026 से 08 / 08 / 2026 तक	योजना क्रमांक 51, पानी की टंकी नगर निगम, इंदौरन कार्यालय
05	140	140, 94	13 / 08 / 2026 से 14 / 08 / 2026 तक	आरकेएन - 2 RCM-14, योजना क्रमांक 140

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इंदौर विकास प्राधिकरण

इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर ida

लीज़ होल्ड संपत्तियों को फ्री-होल्ड कराने का

सुनहरा अवसर

इंदौर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में लीज़ पर आवंटित संपत्तियों को भू-स्वामी अधिकार पर संपरिवर्तन की कार्यवाही मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2018 यथा संशोधित दिनांक 09.04.2021 अनुसार पूर्व में लीज़ पर आवंटित संपत्तियों जिसमें भूखंड / निर्मित संपत्तियाँ (आवासीय / व्यवसायिक एवं अन्य उपयोग हेतु आवंटित) स्थायती दरों पर आवंटित संपत्तियों को छोड़कर, के आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रचलित नियम अनुसार आवश्यक शुल्क जमा कर संपत्तियों को भू-स्वामी अधिकार पर संपरिवर्तन कराएं एवं प्रतिवर्ष की वार्षिक लीज़ रेंट से मुक्त होने का सुनहरा अवसर प्राप्त करें।

LEASE HOLD TO FREE HOLD CAMP

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी,
इंदौर विकास प्राधिकरण